नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

- **उपस्थिति :-**
  1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  3. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  4. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  5. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  6. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0-सह-जिला आपूर्ति पदा0, मुंगेर।
  7. श्री भानू प्रकाश, स्थापना उपसमाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदा0, आपदा प्रबंधन/भू-अर्जन शाखा।
  8. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
  9. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
  10. श्री कुन्दन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
  11. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
  12. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
  13. गुलाम मोहम्मद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
  14. श्री के0के0 यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  15. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
  16. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।
  17. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
  18. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
- **अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-**
  19. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।
  20. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
  21. श्री उमेश मुखिया, कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर।

बैठक के शुरूआती समय में स्वतंत्रता दिवस, 2013 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं विधि व्यवस्था के सफलतापूर्वक संधारण हेतु जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं सभी आवश्यक तैयारियाँ ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् गंगा के जलस्तर पर में हो रही लगातार वृद्धि के दृष्टिगत् संभावित बाढ़ के पूर्व निम्न कार्रवाईयाँ निश्चित रूप से पूर्ण कराने हेतु संबधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया :-

1. चूँकि मुंगेर जिला के सदर अनुमण्डलान्तर्गत सदर, जमालपुर, बरियारपुर एवं धरहरा प्रखंड के अधिकांश पंचायतें गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से प्रभावित हैं, उदाहरणार्थ, धरहरा प्रखंड के हेमजापुर, बाहाचौकी, शिवकुण्ड, बरियारपुर प्रखंड के झौवाबहियार, हरिणमार, सदर प्रखंड के कुतलुपुर, टीकारापमपुर, जाफरनगर के तटीय इलाके इत्यादि।
2. उपरोक्त संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में अनिबंधित नावों का परिचालन किसी भी परिस्थिति में नहीं किए जाने का निदेश वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, आपदा प्रबंधन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दिया गया। साथ ही नावों की पर्याप्त संख्या का आंकलन करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर नावों का निबंधन कराना सुनिश्चित किया जाए। यह भी विशेष ध्यान देंगे कि किसी भी परिस्थिति में नावों पर ओवरलोडेड परिचालन नहीं हो।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों के सुरक्षार्थ उपयुक्त स्थानों पर बनाए जाने वाले शरण स्थली पर समुचित मात्रा में खाद्य सामग्री की सुविधा सुनिश्चित करायेंगे।

4. संभावित बाढ़ के मद्देनजर पूर्व में आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर से निर्गत संयुक्तादेश में निर्णित निर्णयों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

5. संभावित सुखाड़ के दृष्टिगत् विभागीय निदेशानुसार डीजल अनुदान वितरण की सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ ससमय पूर्ण कर लिए जाएँ। इसकी नियमित समीक्षा वरीय उपसमार्त्ता प्रखंड स्तरीय बैठकों में, टी0एच0आर0 दिवस/मनरेगा दिवस इत्यादि कार्यक्रमों में भी करते रहेंगे।

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना :–

6. विदित हो कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के कार्यो में शत–प्रतिशत आच्छादन अर्जित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यो की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार मुंगेर जिला के लिए निम्नवत् दिवस निर्धारित की गई है :–

- प्रारूप प्रकाशन की तिथि :– 24.08.2013
- दावा/आपत्ति प्राप्त करने की तिथि :– 24.08.2013–17.09.2013
- प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन की तिथि :– 24.08.2013–12.10.2013
- अंतिम रूप से प्रारूप प्रकाशन की तिथि :– 13.10.2013–22.10.2013

7. उपरोक्त निर्धारित दिवसों में कार्यो की पूर्णता सुनिश्चितता हेतु SECC के कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	प्रखंड	कुल EB की संख्या	पूर्ण EB की संख्या	अपूर्ण EB की संख्या
1	सदर प्रखंड	427	427	00
2.	नगर निगम, मुंगेर	374	374	00
3.	जमालपुर प्रखंड	प्रारूप प्रकाशन हेतु पूर्णतया तैयार		
4	नगर परिषद्, जमालपुर	प्रारूप प्रकाशन हेतु पूर्णतया तैयार		
5	बरियारपुर प्रखंड	236	236	00
6	धरहरा प्रखंड	प्रारूप प्रकाशन हेतु पूर्णतया तैयार		
7	खड़गपुर प्रखंड	403	271	132
8	नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर	65	00	65
9	टेटियाबंबर प्रखंड	प्रारूप प्रकाशन हेतु पूर्णतया तैयार		
10	असरगंज प्रखंड	168	42	126
10	तारापुर प्रखंड	249	205	44
11	संग्रामपुर प्रखंड	202	168	34

8. इसी क्रम में बताया गया कि जिले में 3103 EB में 3100 EB पूर्ण हो चुका है तथा मुंगेर शहर के 320 EB में 100 EB, बरियारपुर के 01 EB का VCM (Verification & Correction Module) का कार्य लंबित है। साथ ही Supervisory Module के अन्तर्गत 3103 EB में 2715 EB पूर्ण हो चुका है तथा अपूर्ण 388 EB में सर्वाधिक खड़गपुर प्रखंड, नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर, तारापुर एवं असरगंज है। इस निमित्त उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि संबंधित चार्ज पदाधिकारी को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के स्तरवार अपूर्ण कार्यो की विस्तृत जानकारी देते हुए विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराने का निदेश देंगे। साथ ही यह भी निदेशित करेंगे कि यथासमय कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9. प्रखंडों के वरीय उपसमाहर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में सभी पेंशन मद की जो राशि अग्रिम के रूप में पंचायत सेवक को दी गई है तो वितरणोंपरान्त अभिश्रव का समायोजन अवश्य करा लिया जाए। यदि किसी भी पंचायत सेवक के पास अग्रिम की राशि पाई जाएगी तो संबंधित दोषी कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

10. विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि टी0एच0आर0 दिवस को प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा यदि आगामी दिवस को जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिन पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में किन पदाधिकारियों द्वारा किस परिस्थिति में जांच करने नहीं जा रहे हैं।

11. जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि एकीकृत कार्य योजनान्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना से सम्बद्ध विद्यालयों में खाना बनाने हेतु आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की जा रही उपस्कर की गुणवत्ता की जांच अवश्य करेंगे।

12. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक प्रखंड स्तर किए जाने की तिथि माह अगस्त, 2013 में ही निर्धारित करते हुए आयोजित कराने का पुनः निदेश अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को दिया गया।

13. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

14. आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत संचालित लोक सेवाओं में अनाधिकृत संलिप्त अवैध व्यक्तियों (दलालों) को पकड़ने के लिए वरीय उपसमाहर्त्ता नियमित रूप से उपयुक्त समय पर छापेमारी करेंगे।

15. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मुंगेर जिलान्तर्गत किला क्षेत्र में अवस्थित खास महाल की खाली जमीन को चिन्हित करते हुए सुस्पष्ट विस्तृत आंकड़ा सहित प्रतिवेदनएक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

16. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर, नीलाम पत्र को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता देते हुए विद्युत विभाग से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों की अद्यतन सूची अंचल अधिकारियों से प्राप्त कर समेकित कर अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें ताकि उपरोक्त नीलाम पत्र वादों में सन्निहित राशि की वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र की जा सके।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेशों को पुनः उल्लेखित करते हुए नियमित अनुश्रवण/अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदा0 को दिया गया :-

1. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यो इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु किसी भी नामित वरीय उपसमाहर्त्ता द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक में भाग लें तथा बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँ, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-
    - लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
    - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
    - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
    - वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
    - बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों का भी स्थलीय निरीक्षण करना तथा निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
    - आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/ सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।

- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई का प्रतिवेदन देना।
- विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
- ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि खास महाल क्षेत्र में अनाधिकृत तौर पर नए मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसपर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर एवं अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर नियमानुसार सी0आर0पी0सी0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी इसका सतत् पर्यवेक्षण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।
- दिनांक 01.06.2013 से मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन करते हुए प्रकाशन, दावा आपत्ति प्राप्त करने, निष्पादन करने एवं 01.08.13 से 15.08.13 तक प्रकाशित करने तथा भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्यक्रम प्राप्त है। सभी वरीय उपसमाहर्त्ता इस कार्य का प्रखंड/अंचल भ्रमण के दौरान नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना।
- बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र-2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से करायें तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करना।
- प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के प्रगति की भी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना। इसकी प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है।
- राशन किरासन वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से यह जांच करेंगे कि अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को वापस उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं?

2. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए घटकवार पेंशनधारियों की उम्रवार संख्या सहित सूची यथशीघ्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त प्रथम तिमाही के आवंटन को उपावंटित करने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे।
3. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।

4. यह खेदजनक है कि THR दिवस में कई प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाता है, अतः विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया गया कि तिथिवार आयोजित THR दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित करते हुए यह सूची तैयार करें कि किन पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
5. आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करते रहेंगे ताकि कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके।
6. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6/8/13

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1518 /गो0, दिनांक 07/08/2013

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/13

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1518 /गो0, दिनांक 07/08/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/13

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।